

No.: RE/DS/2025-26/284

Date: 04.10.2025

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय

लखनऊ

महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23, सामान्य
बैंकिंग शाखा खोलना:

मड़ैया

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे परिपत्र संख्या एन बी जी/ बी आर
एन डबल्यू एम-बी ए/2/2017-18 (क्र.सं. 213/2017-18) दिनांक
25.05.2017 एवं परिपत्र संख्या एनबीजी/बीओडी -
जीबी/61/2014-15 (क्र.सं.753/2014-15) दिनांक 22.09.2014
को संदर्भित करें।

1. परिपत्र सं. आरबीआई/2013-14/330 - बैंपविवि. सं.
बीएपीडी.बीसी.60/22.01 001/2013-14 दिनांक 21 अक्टूबर
2013 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, बैंक को, एक सामान्य बैंकिंग शाखा अनुबंध में दिए गए
केंद्र / स्थान में खोलने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- अनुबंध में उल्लेख किए अनुसार आवंटित केंद्र / स्थान पर
ही शाखा खोली जानी चाहिए।
- शाखा खोलने के संबंध में विवरण (अर्थात् पता खोलने की
तारीख आदि) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण
विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने चाहिए।
यह सूचना सामान्यतः उक्त शाखा खोलने के तुरंत बाद
अथवा त्रिमाही के अंदर भेजे जाने चाहिए। मंडल द्वारा
शाखा खोलने संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की परिपत्र सं.
आरबीआई/ 2018-19/228/डीआरबी.क्र. बीएपीडी.
बीसी. 50/22.01.001/2018-19 दिनांक 28 जून 2019
के निर्देशानुसार बैंकिंग शाखा / आउटलेट खोलने के एक
सप्ताह के भीतर आरबीआई को सीआईएसबीआई पोर्टल के
माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट करना है।

The Chief General Manager

State Bank of India

Local Head Office

LUCKNOW

Dear Sir,

Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949-
Opening of General Banking Branch:

MADAIYAN

Please refer to our e-Circular No. NBG/BRNWM-
BA/2/2017-18 (Sl. No. 213/2017-18) dated
25.05.2017 and e- Circular No. NBG/BOD-
GB/61/2014-15 (Sl. No. 735/2014-15) dated
22.09.2014.

1. In exercise of powers conferred by Reserve
Bank of India vide Circular No. RBI/2013-14/330-
DBOD.NO.BAPD.BC.60/ 22.01.001/2013-14
dated October 21, 2013, it has been decided to
accord permission for opening one general
Banking Branch at the Centre / place given in the
Annex.

2. The permission shall be subject to the following
conditions:

- The branch should be opened only at the
Centre / place as mentioned in the Annex.
- The details (i.e. address, date of opening
etc.) regarding opening of branch should
be reported to the Department of Banking
Supervision / DSIM, Reserve Bank of
India, Regional Office concerned. The
reporting should normally be done
immediately after the opening of the
Branch or within the quarter. Circle to
report opening of branch, as per
instructions of RBI vide Circular No. RBI/
2018-19/228/DRB. No.BAPD.BC. 50/
22.01.001/2018-19 dated June 28, 2019,
on the prescribed format, to RBI through
CISBI portal within one week of opening
of the Banking Branch / outlet.

iii) सर्कल शाखा खोलने के तुरंत बाद वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), MOF द्वारा विकसित जन धन दर्शक पोर्टल पर विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

3. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा प्राधिकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर खोली जाए। यदि शाखा प्राधिकरण तारीख से एक वर्ष के भीतर (अर्थात् 28-09-2026) तक नहीं खोली जाती तो उसके संबंध में इस पत्र के जरिए दी गयी अनुमति निरस्त मानी जाएगी।

4. अनुमति पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण शाखा को इसके रिकार्ड का उचित ध्यान रखना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि शाखा सरकारी व्यवसाय कार्यकाज हेतु इच्छुक हैं तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी तथा सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से पूर्व - अनुमति प्राप्त की जाए।

6. कृपया नोट करें कि उपर्युक्त शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 का उल्लंघन माना जाएगा।

7. मंडल को शाखा खोलने के लिए निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए:

i) बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों में (टियर 5 एवं 6) में शाखा खोलने की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुल खुलने वाली शाखाओं का 25% बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खुलनी चाहिए।

ii) अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि इन केंद्रों पर व्यवसाय की संभावनाएं हैं।

iii) शाखा यूनिफ़ॉर्म इंटरनल लेआउट, एलीवेशन और कलर स्कीम, जो कि मास्टर सर्कुलर नः एनबीजी /बीआरएनडब्ल्यूएम-ब्रांचेज/8/2017-18 दिनांक 27.02.2018 में अनुमोदित है, के अनुसार खोली जानी चाहिए।

iv) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक/भारत सरकार द्वारा जारी 2021 में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए समन्वित दिशानिर्देश और मानक, अध्याय 2. सुगम्यता, विविधता और सार्वभौमिक डिजाइन, 3. बाहरी तत्व और 4. आंतरिक तत्व आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

v) अधिमानतः शाखा ग्राउंड फ्लोर पर खोली जानी चाहिए, जिसमें कार पार्किंग की सुविधा हो।

iii) Circle must ensure the details regarding the branch opened on Jan Dhan Darshak Portal, developed by the Department of Financial Services (DFS) of MOF, immediately after opening of the Branch.

3. You should ensure that the branch is open within a year from the date of authorisation. The permission conveyed vide this letter will lapse in respect of branch which is not opened within a year from the date of authorisation (i.e. by 28-09-2026).

4. The letter of permission being an important document, due care should be taken by the Branch for its preservation.

5. It may be ensured that prior permission of the competent Government Authority and the Department of Government and Bank Accounts, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai is obtained, if the branch intends to handle Government business.

6. Please note that any violation of the terms and conditions mentioned above will be treated as a violation of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

7. The Circle should ensure the following for branch opening:

i) To prioritize (mandated) opening of branches in rural unbanked areas (Tier 5 & 6). 25% of total branches to be opened in unbanked rural areas.

ii) Please ensure Potential at the Centre before opening the RUSU branches.

iii) Branch should be opened as per Uniform Internal Layout, Elevation and Colour Scheme of Branches approved vide Master Circular No. NBG/BRNWM-BRANCHES/8/2017-18 dated 27.02.2018.

iv) Accessibility Standards for Banking Sector as per RPWD Act/ Harmonised Guidelines & Standards for Universal Accessibility in India 2021 issued by GoI, with focus on Chapter 2. Accessibility, Diversity and Universal Design, 3. External Elements and 4. Internal Elements etc.

v) Preferably the branch should be opened at Ground floor with car parking facility.



- vi) रैंप का प्रावधान, ई-परिपत्र संख्या सीडीओ/परिसर/एसओपी/4/2020-21 दिनांक 1 फरवरी, 2021 के अनुसार सर्कल द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- vii) दोहरी कनेक्टिविटी शाखा खोलने से पहले सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
- viii) शाखा खोलने से पहले सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए अनुमोदन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- ix) शाखा को सामान्य शाखा प्रबंधन नीति में दिए गए विभिन्न मापदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।
- x) शाखा में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- xi) भविष्य के व्यावसायिक खतरों से बचाने के लिए, शाखा के लिए रणनीतिक रूप से लाभप्रद साइटों का चयन करना सुनिश्चित करें।
- xii) सीआईएसबीआई और बीआरएचएम में डेटा सही ढंग से अद्यतन किया जाना चाहिए और इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

8. सर्कल को प्रस्तावों को अधिकृत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निम्नलिखित विशेष अवलोकनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए:

“शाखा परिसर का चयन करते समय और प्रस्तावित शाखा में प्रचालन शुरू करते समय सामान्य शाखा प्रबंधन नीति में निहित सभी अनुदेशों का ध्यान रखा जाना चाहिए। शाखा के निष्पादन विशेषकर व्यापार के स्तर और लाभप्रदता सर्कल प्रबंधन और नियंत्रकों द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और प्रतिकूल भिन्नताओं के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि प्रस्तावित शाखा के लिए चयनित शाखा कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो ताकि उनके द्वारा कोई डीक्यूआई त्रुटियां न की जा सकें और एओएफ माइग्रेशन आदि समय पर किया जाना चाहिए। शाखा के कर्मचारियों को भी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षणों के संपर्क में लाया जाना चाहिए ताकि शाखा में कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की कोई घटना न हो।”

भवदीय,

अजिता

महा प्रबंधक (बी आर ई)
(अनुलग्नक संलग्न)

vi) Provision of RAMP as per e-Circular No. CDO/ PREMISES/SOP/4/2020-21 dated February 1, 2021 must be ensured by the Circle.

- vii) Dual Connectivity must be ensured before opening of Branch.
- viii) Ensure availability of approval for Commercial Licence from competent authority before opening of Branch.
- ix) The Branch should comply with various parameters and requirements as given in the General Branch Management Policy.
- x) Ensure the availability of separate toilets for ladies in the branch.
- xi) Ensure to select strategically advantageous sites for branch, to protect future business hazards.
- xii) Data should be updated correctly in CISBI & BRHM and there must not be any differences.

8. Circle must ensure compliance with the following special observations made by Competent Authority while authorizing the proposals:

“All the instructions as contained in General Branch Management Policy must be taken care of while selecting the branch premises and commencing operations in the proposed Branch. The performance of the branch, esp. business levels and profitability must be closely monitored by Circle Management and controllers and corrective actions must be taken in case of adverse variations. It must be seen that the Branch staff selected for the proposed Branch gets adequate training so that no DQI errors are committed by them and AOFs migration etc. must be done in a timely manner. The Branch staff should also be exposed to soft skill trainings so that no incident of staff misbehavior happens at the Branch.”

Yours faithfully,

[Signature]

General Manager (BRE)
(Annexure Attached)



AUTHORISATION FOR OPENING OF – METRO / URBAN / SEMI-URBAN / RURAL					Annexure - A	
DATE OF AUTHORISATION: 29.09.2025			 भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		DATE OF EXPIRY OF AUTHORISATION: 28.09.2026	
2025-26 AUTHORISATION /क्र. सं / Sr. No.	केंद्र / CENTRE	जिला / DISTRICT	राज्य / STATE	जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण/ POPULATION GROUP-WISE CLASSIFICATION	शाखा वर्गीकरण / TYPE OF BRANCH / OFFICE	बैंपवि, केका मुंबई/ क्षेका, बैंपवि/ DBOD, CO, MUMBAI/ RO, DBS
284	मड़ैया	चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	शाखा	लखनऊ
	MADAIYAN	CHITRAKOOT	UTTAR PRADESH	RURAL	BRANCH	LUCKNOW

